2025/1031

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

प्रेमनारायण आर्य बनाम तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 555 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
25/11/25	प्रार्थी प्रेम नारायण आर्य पुत्र रतन लाल आर्य जाति बलाई निवासी ग्राम ताजसार खेजडोलियान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम ताजसर खेजडोलियान पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 215 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि प्रेमनारायण पुत्र रतना दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्टि प्रेम नारायण आर्य पुत्र रतन लाल आर्य है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि प्रेम नारायण आर्य पुत्र रतन लाल आर्य अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि प्रेमनारायण पुत्र रतना के स्थान पर प्रेम नारायण आर्य पुत्र रतन लाल आर्य दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/3321 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ताजसर खेजडोलियान पटवार हल्का श्यामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के नये खाता सं. 215 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्टि प्रेमनारायण पुत्र रतना के स्थान पर प्रेम नारायण आर्य पुत्र रतन लाल आर्य दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./2025/3321 दिनांक 23.09.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट्स आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.) उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर Signature Not Verified Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra Date: 2025.11.26 11:23:03 IST Reason: SelfAttested	